

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2303] No. 2303] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2014

का.आ. 2878(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2013 का 12) की धारा 53च के साथ पठित धारा 53ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिंघवी (सेवानिवृत्त) को, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का 25 सितंबर, 2014 (पूर्वाह्र) से पांच वर्ष की अविध के लिए या उनके अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अध्यक्ष नियुक्त करती है।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 द्वारा शासित होंगी।

[फा. सं. 9/7/2014-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2014

- S.O. 2878(E).—In exercise of the powers conferred by section 53C read with section 53F of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Justice (Retd.) G. S. Singhvi, as Chairperson of the Competition Appellate Tribunal with effect from the 25th September, 2014 (FN) for a period of five years or till he attains the age of 68 years or till further orders, whichever is the earliest.
- 2. The terms and conditions of his service will be governed by the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2009 as amended from time to time.

[F. No. 9/7/2014-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

4454 GI/2014